भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

केएफएस नियम और शर्तें 45 दिनों की मंजूरी वैधता अवधि के अनुरूप हैं

1	**लीड नंबर.**		**ऋण का प्रकार**	
2	**सैंक्शन लोन राशि (रुपये में)**			
3	**वितरण अनुसूची** (i) **चरणों में या 100% अग्रिम भुगतान।** (ii) **अगर यह चरणवार है, तो लोन अनुबंध के लागू विवरण वाले खंड का उल्लेख करें**			
4	**लोन अवधि (वर्ष/महीने/दिन)**			
5	**किस्तों का विवरण**			

किस्तों का प्रकार	ईएमआई की संख्या	ईएमआई (₹)	सैंक्शन के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत
मासिक			

6	**ब्याज दर (%) और प्रकार (फिक्स्ड या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)**	, हाइब्रिड 5 वर्षों के लिए फिक्स्ड दर और उसके बाद आरपीएलआर के आधार पर फ्लोटिंग दर	
7	**फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी**		

रेफरेंस बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (B)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) R = (B) + (S)	आवधिकता का पुनर्निर्धारण (मासिक)		रेफरेंस बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('R' में 25 बीपीएस में बदलाव के लिए, हुआ परिवर्तन:)	
				B	S	ईएमआई (₹)	ईएमआई की संख्या
					जब भी और जैसा भी हो	समान ईएमआई	
					जब भी और जैसा भी हो		समान अवधि

8	**शुल्क/प्रभार**				
		आईकेएफएचएफएल को देय (A)		आईकेएफएचएफएल के माध्यम से किसी थर्ड पार्टी को देय (B)	
		एकमुश्त/ आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%), जो लागू हो	एकमुश्त/ आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%), जो लागू हो
(i)	प्रोसेसिंग प्रभार	एकमुश्त			
(ii)	बीमा शुल्क			एकमुश्त	
(iii)	मूल्यांकन शुल्क		शून्य, प्रोसेसिंग शुल्क में शामिल		
(iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)				
	सीईआरएसएआई	एकमुश्त	₹ /- + लागू टैक्स, वितरित राशि से लिए जाएंगे		
	दस्तावेज संग्रहण शुल्क	एकमुश्त	₹ 1000/- + लागू टैक्स, वितरित राशि से लिए जाएंगे		
	दस्तावेज शुल्क	एकमुश्त	लोन के वितरण के समय, लोन राशि पर		

	वितरण चेक का कैंसलेशन और चेक/आरटीजीएस के माध्यम से दोबारा जारी करना डुप्लिकेट अमॉर्टाइजेशन अनुसूची/एनओसी/एनडीसी फोरक्लोजर स्टेटमेंट जारी करना डीडी के जरिए भुगतान डोरस्टेप कलेक्शन		2.5% + लागू टैक्स देय होगा (राशि सिस्टम से ली जाएगी) ₹ 1000/- + लागू कर ₹ 500/- + लागू कर ₹ 1000/- + लागू कर ₹1 लाख और उसके गुणकों पर ₹400/- + लागू टैक्स ₹ 250/- + लागू टैक्स, प्रति विजिट		
9	**वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)**				
10	**आकस्मिक शुल्कों का विवरण** (₹ या % में, जैसा लागू हो)				
(i)	विलंबित भुगतान के मामले में दंडात्मक शुल्क, अगर कोई हो,		बकाया राशि पर 36 प्रति वर्ष शुल्क, दैनिक आधार पर गणना (ईएमआई, पीईएमआई पर शुल्क) + जीएसटी/टैक्स, जो लागू हों		
(ii)	अन्य दंडात्मक शुल्क, अगर कोई हो ईसीएस/चेक डिसऑनर संग्रह प्रभार		₹ 500/- + लागू टैक्स, प्रति घटना ₹ 200/- + लागू टैक्स, प्रति घटना कलेक्शन		
(iii)	फोरक्लोजर शुल्क, अगर लागू हो		**फ्लोटिंग ब्याज दर वाले लोन का पार्ट पेमेंट/ फोरक्लोजर – किसी व्यक्ति के नाम पर संपत्ति।** होम लोन / नॉन-होम लोन – किसी भी स्रोत के लिए शून्य। एलएपी (50 लाख > ऋण और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिया गया) - 5% से अधिक बकाया मूलधन पर लागू कर, अन्यथा शून्य। **फ्लोटिंग ब्याज दर वाले लोन का पार्ट पेमेंट/ फोरक्लोजर – किसी गैर-व्यक्ति संस्था / कॉर्पोरेट / एजेंसियों के नाम पर संपत्ति।** अगर संपत्ति किसी गैर-व्यक्तिगत इकाई के नाम पर है, तो इसे बिजनेस उद्देश्य का लोन माना जाएगा और बकाया मूलधन / अग्रिम भुगतान राशि का 5% + लागू टैक्स वसूल किए जाएंगे। **फिक्स्ड दर / डुअल दर वाले लोन का पार्ट पेमेंट/ फोरक्लोजर – किसी व्यक्ति के नाम पर संपत्ति।** होम लोन – अपने फंड से बंद करने पर शून्य। होम लोन (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी / बैंक / फाइनेंशियल संस्थान / एनबीएफसी – नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को लोन ट्रांसफर), नॉन-होम लोन / संपत्ति पर लोन (एलएपी) (बिजनेस के उद्देश्य से लिया गया) – बकाया मूलधन का 5% + लागू टैक्स। एलएपी - शून्य यदि अंतिम उपयोग व्यक्तिगत उपभोग के लिए है और स्वयं के फंड से बंद है और शेष हस्तांतरण के मामले में 5% है। एलएपी - 5% यदि अंतिम उपयोग व्यवसाय के लिए है और किसी भी स्रोत के माध्यम से बंद है। **फिक्स्ड दर / मिक्स्ड दर वाले लोन का पार्ट पेमेंट/ फोरक्लोजर – किसी गैर व्यक्ति / कॉर्पोरेट / एजेंसियों के नाम पर संपत्ति।**		

		अगर संपत्ति किसी गैर-व्यक्तिगत इकाई के नाम पर है, तो इसे बिजनेस उद्देश्य का लोन माना जाएगा और बकाया मूलधन / अग्रिम भुगतान राशि का 5% + लागू टैक्स वसूल किए जाएंगे।
(iv)	फ्लोटिंग से फिक्स्ड दर पर लोन स्विच करने और इसके विपरीत स्विच करने के लिए शुल्क	लागू नहीं
(v)	कोई और शुल्क (कृपया बताएं) पीडीसी/ ईसीएस / एनएसीएच / ई-एनएसीएच स्वैपिंग कानूनी शुल्क	 ₹ 1000/- + लागू कर वास्तविक खर्च के अनुसार

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित लोन अनुबंध का खंड	लोनदाता को लोन रिकवरी प्रोसेस में मदद के लिए रिकवरी एजेंट को नियक्त करने का अधिकार है। यह जरूरी है कि ये एजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। अगर कोई उधारकर्ता भुगतान नहीं करता है, तो लोनदाता रिकवरी की कोशिशों को आसान बनाने के लिए रिकवरी एजेंट की सेवाएं ले सकते हैं।
2	लोन अनुबंध का खंड, जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है	**A. स्तर-I:** आप आईकेएफ होम फाइनेंस लिमिटेड (आईकेएफएचएफएल) की सबसे नजदीकी शाखा पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायतें/समस्याएं दर्ज करा सकते हैं (कामकाजी घंटों के दौरान सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)। (सोमवार-शनिवार) राष्ट्रीय छुट्टी और पहले और दूसरे शनिवार को छोड़कर **ग्राहक सेवा के लिए व्यक्ति यहां संपर्क करें:** आईकेएफएचएफएल शाखा प्रबंधक या सेल्स प्रबंधक, जैसा भी मामला हो। **या** ग्राहक इन तरीकों से हमसे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। **ईमेल:** customercare@ikfhomefinance.com **टेलीफोन नंबर:** 040-23412083 (सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक चालू) (राष्ट्रीय छुट्टी और पहले और दूसरे शनिवार को छोड़कर)। **टोल-फ्री नंबर:** 18003093010 (सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक चालू) (राष्ट्रीय छुट्टी और पहले और दूसरे शनिवार को छोड़कर)। **हमें इस पते पर लिखें:** आईकेएफ होम फाइनेंस लिमिटेड, 10th फ्लोर, टावर-3, इक्विनॉक्स बाय फीनिक्स, सर्वे नंबर 53/पाइकी, लुंबिनी एवेन्यू, गाचीबोवली विलेज, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद – 500032, तेलंगाना। (कॉर्पोरेट कार्यालय), हम आपको शिकायत रेफरेंस नंबर प्रदान करेंगे। हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी शिकायत मिलने की तारीख से दो हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। **B. स्तर-II:** अगर लेवल-I पर प्रदान किया गया समाधान आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं है, या दिए गए समाधान से आप खुश नहीं हैं, तो आप इसे संचालन प्रमुख/मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी (सीजीआरओ) के पास भेज सकते हैं। संचालन प्रमुख /मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी (सीजीआरओ) शिकायत प्राप्त होने की तारीख से अगले दो हफ्ते के अंदर इसका समाधान करेंगे। **प्रति,** **आईकेएफ होम फाइनेंस लिमिटेड**

		मुख्य परिचालन अधिकारी / राष्ट्रीय परिचालन प्रबंधक / मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी पता: 10th फ्लोर, टावर-3, इक्विनॉक्स बाय फीनिक्स, सर्वे नंबर 53/पाइकी, लुंबिनी एवेन्यू, गाचीबोवली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद – 500032, तेलंगाना (कॉर्पोरेट कार्यालय) **ईमेल आईडी:**grievance@ikfhomefinance.com **टेलीफोन नंबर:** +91 9063250427 **C. स्तर-III:** अगर ग्राहक लेवल-I और लेवल-II पर दिए गए समाधान से खुश नहीं है या आपको 30 कामकाजी दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आप कंपनी के नोडल अधिकारी से लिखकर, ईमेल या फोन कॉल के जरिए संपर्क कर सकते हैं: **प्रति,** **नोडल अधिकारी** **पता:** 10th फ्लोर, टावर-3, इक्विनॉक्स बाय फीनिक्स, सर्वे नंबर 53/पाइकी, लुंबिनी एवेन्यू, गाचीबोवली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद – 500032, तेलंगाना (कॉर्पोरेट कार्यालय) **ईमेल आईडी:** compliance@ikfhomefinance.in **मोबाइल नंबर:** +91 8367788735 मामले की जांच करने के बाद, हम ग्राहक को संतोषजनक जवाब देंगे या अगर ज्यादा समय लगेगा तो उसके बारे में बताएंगे, और हमारा लक्ष्य यह होता है कि समाधान दो हफ्ते के अंदर हो जाए। **D. स्तर-IV:** अगर ग्राहक अभी भी समाधान से खुश नहीं है और उसे 30 दिनों के अंदर कंपनी से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वे नीचे दिए गए तरीके से राष्ट्रीय आवास बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं: **प्रति,** **नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक,** विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग, (शिकायत निवारण प्रकोष्ठ) **पता:** चौथा मंजिल, कोर - 5A, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003, भारत। शिकायत crcell@nhb.org.in पर ई-मेल भी की जा सकती है। उधारकर्ता राष्ट्रीय आवास बैंक के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से https://grids.nhbonline.org.in **(ऑनलाइन पोर्टल)** लिंक पर ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करके संपर्क कर सकते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि शिकायत या समस्या दर्ज वाले पीड़ित लोगों को उनके फीडबैक के कारण किसी भी नकारात्मक नतीजे या बदले की भावना का सामना नहीं करना पड़े।
3	शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	**शिकायत निवारण अधिकारी** **पता:** 10th फ्लोर, टावर-3, इक्विनॉक्स बाय फीनिक्स, सर्वे नंबर 53/पाइकी, लुंबिनी एवेन्यू, गाचीबोवली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद – 500032, तेलंगाना (कॉर्पोरेट कार्यालय) **ईमेल आईडी:** grievance@ikfhomefinance.com **टेलीफोन नंबर:** +91 9063250427
4	क्या लोन को वर्तमान में या भविष्य में अन्य विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा	हाँ

	सकता है या प्रतिभूतिकरण के अधीन हो सकता है (हां/नहीं)	
5	सहयोगी (कोलेबोरेटिव) लोन व्यवस्था (जैसे, सह-लोन/आउटसोर्सिंग) के तहत लोन देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
मूल आरई का नाम और उसके वित्तपोषण का अनुपात	भागीदार आरई का नाम और उसके वित्तपोषण का अनुपात	ब्याज की मिश्रित दर
आईकेएफएचएफएल		
6	डिजिटल लोन के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:	
(i)	आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित पॉलिसी के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से लोन के पूर्व-भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	लागू नहीं
(ii)	रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	लागू नहीं

यह सहमति हुई है कि लोन के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, पक्ष उनके द्वारा निष्पादित किए गए/निष्पादित किए जाने वाले लोन और दूसरे सिक्योरिटी दस्तावेज को देखेंगे और उन पर भरोसा करेंगे।

उधारकर्ताओं ने ऊपर दिए गए नियम और शर्तें को पढ़ लिए हैं / कंपनी के श्री / श्रीमती / कुमारी _____ ने उधारकर्ताओं को पढ़कर सुना दिए हैं और उधारकर्ताओं को ये समझ में आ गए हैं।

उधारकर्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

सह-उधारकर्ताओं के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

गारंटर के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आईकेएफ होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक:

अनुलग्नक A - एपीआर की गणना

क्र. सं.	मापदंड	विवरण
1	सैंक्शन लोन राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्प्लेट की क्रम संख्या 2 - भाग 1)	
2	लोन अवधि (महीनों में) (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 4 - भाग 1)	
a)	गैर-समतुल्य आवधिक लोनों के मामले में मूलधन के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या	लागू नहीं
b)	ईपीआई का प्रकार (समान आवधिक किश्तें, जिसे होम लोन/एलएपी के मामले में ईएमआई कहते हैं)	मासिक
	प्रत्येक ईपीआई की राशि (रुपये में) और	
	ईपीआई की संख्या (जैसे, मासिक किश्त के मामले में ईएमआई की संख्या) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 5 – भाग 1)	
c)	पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या, अगर कोई हो	लागू नहीं
d)	सैंक्शन के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत (केएफएस टेम्प्लेट की क्रम संख्या 5 - भाग 1)	हर महीने की 5 तारीख
3	ब्याज दर का प्रकार (फिक्स्ड या फ्लोटिंग या हाइब्रिड) (केएफएस टेम्प्लेट की क्रम संख्या 6 - भाग 1)	हाइब्रिड
4	ब्याज दर (केएफएस टेम्प्लेट की क्रम संख्या 6 - भाग 1)	
5	सैंक्शन तिथि पर लागू दर के अनुसार लोन की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में)	
6	देय शुल्क/प्रभार (रुपये में)	
A	आरई को देय (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 8A - भाग 1)	
B	आरई के माध्यम से थर्ट पार्टी को देय (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 8B - भाग 1)	
7*	निवल वितरित राशि (1-6) (रुपये में)	
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रुपये में)	
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट की क्रम संख्या 9 - भाग 1)	
10	नियमों और शर्तों के अनुसार, वितरण की अनुसूची	विस्तृत अनुसूची प्रदान किया जाएगा
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि	हर महीने की 5 तारीख

अनुलग्नक – B (पुनर्भुगतान अनुसूची)